प्रकरण संख्या 04 / 17 2017 / 00052 तारीख रजु–05.10.2017

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

उनवान

राधेश्याम पुत्र श्यामलाल उम्र 55 साल जाति धोबी निवासी ग्राम खोहरी तहसील करौली जिला करौली राज. – निगरानीदार / सायल

बनाम

1. ग्राम पंचायत अतेवा, पंचायत समिति करौली जरिये सरपंच ग्राम पंचायत अतेवा, पंचायत समिति, करौली, तहसील व जिला करौली (राज0)
2. ढमोल पुत्र भौरया उम्र 61 साल जाति धोबी निवासी ग्राम खोहरी तहसील करौली जिला करौली राज. – गैरनिगरानीदारान / गैरसायलान

निगरानी तहत धारा 97 राजस्थान पंचायतराज अधिनियम 1994 निगरानी बनाराजगी आदेश पट्टा दिनांक 02.05.1981 ग्राम पंचायत अतेवा बहक ढमोल पुत्र भौरया जाति धोबी निवासी खोहरी तहसील करौली

निर्णय

दिनांक–27.11.2019

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि सायल द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत यह प्रार्थना पत्र निगरानी पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत अतेवा द्वारा बताया गया आवासीय भूखण्ड दिनांक 02.05.1981 वहक ढमोल पुत्र भौरया जाति धोबी निवासी ग्राम खोहरी भूमि खसरा नंबर 729 पूर्णतया विधि विरुद्ध है। सही नहीं है तथा रिकॉर्ड के विपरीत है। अपास्त किये जाने योग्य है। पट्टा आदेश दिनांक 02.05. 1981 आवासीय पट्टा भूखण्ड का जारी बताया गया है। ग्राम पंचायत अतेवा वहक गैरसायल नं. 2 ढमोल पूर्णतया आरविट्रेरी है। इस संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं लिया गया है। कोई कार्यवाही ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की गई है। यह पट्टा पूर्णतया बनावटी है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी नहीं किया गया है। इस पट्टे में प्रस्ताव संख्या वर्णित नहीं है। पट्टा ग्राम पंचायत अतेवा द्वारा जारी नहीं किये जाने से अपास्त किये जाने योग्य है। गैरसायल नं. 2 ढमोल के हक में निःशुल्क पट्टा जारी होने का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि ढमोल के पास ग्राम खोहरी में दिनांक 02.05.1981 से पूर्व ही एक मकान रिहायशी प्यारेलाल खटीक के घर के पास स्थित है जिसके एक तरफ अमोल का मकान है व इसी तरफ रामखिलाड़ी का मकान है जो पट्टा स्थल से बहुत दूरी पर है जिसमें ढमोल निवास कर रहा है। वह 02.05.1981 के दिवस रिहायशहीन व्यक्ति नहीं रहा है। इस स्थिति से भी पट्टा दिनांक 02.05.1981 विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है। गैरसायल ढमोल भूमिहीन, आवासहीन व्यक्ति नहीं रहा है। वह वाटर वर्क्स विभाग में राजकीय सर्विस में रहा है जो साल दो साल से रिटायर हुआ है। राजकीय विद्यालय के पास पट्टा स्थल से हटकर गैरसायल ढमोल द्वारा 5–7 कमरों का बड़ा मकान है जो ढमोल का वर्ष 1981 में रहा है। प्रार्थी सायल का पुश्तैनी कब्जे की भूमि स्थित है जिसमें भोग प्रसाद की दुकान पुश्तैनी तौर पर सायल की लगती आ रही है और प्रार्थी का पुत्र अरुण भोग प्रसाद की दुकान कर रहा है। यह स्थल जलदाय विभाग की बोरिंग के पास है और प्रार्थी की दुकान से लगा हुआ महेश का भोग प्रसादी की दुकान का स्थल है। गैरसायल नं. 2 ढमोल ने जलदाय विभाग की बोरिंग स्थल पर नाजायज कब्जा कर रखा है और उसी स्थल का फर्जी पट्टा तैयार करा लिया है और सरपंच लक्ष्मीचंद के फर्जी हस्ताक्षर बना लिये हैं। 02.05.1981 के दिवस ग्राम पंचायत अतेवा को खसरा नंबर 729 की भूमि में आवासीय पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं रहा है क्योंकि उस समय भूमि की किस्म आबादी भूमि नहीं रही है और ग्राम पंचायत में नियत नहीं रही है जो राजस्व रिकॉर्ड से

स्पष्ट है। इस स्थिति में गैरसायल ढमोल द्वारा बताया गया पट्टा पूर्णतया कूटरचित व फर्जी है। पट्टा में बताई गई शर्तों का पालन ढमोल द्वारा नहीं किया गया ह। पट्टे पर सचिव, ग्राम पंचायत के हस्ताक्षर नहीं हैं। पट्टा क्रमांक भी दर्ज नहीं है। प्रस्ताव क्रमांक भी दर्ज नहीं हैं। प्रस्ताव क्रमांक भी दर्ज नहीं है। गैरसायल नं. 2 द्वारा सन् 1983 तक मकान भी तैयार नहीं किया है। ग्राम पंचायत द्वारा नक्शा जारी नहीं किया गया है। बताया गया पट्टा पूर्णतया फर्जी है। दिनांक 02.05.1981 को कोई प्रस्ताव पट्टे बाबत् ग्राम पंचायत अतेवा द्वारा नहीं लिया गया है। आदेश दिनांक 02.05.1981 विधि सम्मत नहीं है। सही नहीं है। ग्राम पंचायत जनरल रूल्स 1961 की नियम 261 की विधिवत पालना नहीं की गई है। गैरसायल नं. 2 ढमोल के पास ग्राम खोहरी में कृषि भूमि रही है। आवास स्थल रहे हैं। वह निःशुल्क आवास पट्टा प्राप्त करने कर अधिकारी नहीं रहा है। कोई विधिवत् नोटिस ग्राम पंचायत द्वारा जारी नहीं किया गया है। रूल्स व अधिनियम की पालना नहीं की गई है। ग्राम पंचायत अतेवा के पास इस पट्टे से संबंधित कोई रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि ग्राम पंचायत अतेवा द्वारा ढमोल के हक में कोई पट्टा जारी नहीं किया गया है। उक्त पट्टे की जानकारी सायल को दिनांक 30.08.2017 के दिवस हुई है। दिनांक 01.09.2017 के दिवस अपीलाण्ट ने उक्त पट्टे की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये आवेदन किया, पट्टा प्रति दिनांक 13.09.2017 के दिवस तैयार होकर प्राप्त हुई है। सायल को दिनांक 02.05.1981 से 30.08.207 तक की अवधि जानकारी व ज्ञान नहीं रहा है। दिनांक 02.05.1981 से दिनांक 30.08.2017 तक की अवधि सायल की जानकारी व ज्ञान में नहीं होने से क्षम्य किये जाने योग्य है। जानकारी दिवस से निगरानी अंदर मियाद प्रस्तुत है। अंत में निगरानी स्वीकार फरमाने का निवेदन किया है।

निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर सायलान की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई।

गैरसायल नं. 1 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैरसायल नं. 2 के हक में ग्राम पंचायत अतेवा द्वारा दिनांक 02.05.1981 को खसरा नं. 729 में आवासीय पट्टा जारी करना बताया गया है जिसका प्रस्ताव से संबंधित कोई रिकॉर्ड ग्राम पंचायत अतेवा के पास उपलब्ध नहीं है। ग्राम पंचायत अतेवा के रिकॉर्ड अनुसार ढमोल के हक में दिनांक 02.05.1981 के दिवस पट्टा जारी करने से संबंधित दस्तावेजात् उपलब्ध नहीं है।

गैरसायल नं. 2 ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि दरख्वास्त हाजा गलत है। सालय राधेश्याम को विवादित रिवीजन करने का कोई अधिकार लोकस स्टैण्डाई हासिल नहीं है। ग्राम पंचायत आबादी भूमि का निःशुल्क पट्टा सन् 1981 में सार्वजनिक रूप से ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है जो एक लोक दस्तावेज है जिसकी पट्टा जारी करने की तिथि से ही समस्त ग्रामवासियों को जानकारी है। पट्टाकृत भूमि पर पट्टा अधिकारी का कब्जा है और कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी का भूमि पर निर्माण है जिसे अर्सा करीब 34 साल हो चुके हैं। निगरानीदार राधेश्याम ने दिनांक 18.06.2017 को जबरन पट्टियां बिछाकर अस्थाई त्रिपाल लगाकर जबरन भोग प्रसाद का सामान रखकर कब्जा किया जिसकी पुलिस में रिपोर्ट की गई। पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं करने, रिपोर्ट दर्ज नहीं करने पर विवादित पट्टाकृत भूमि 45X30 वर्गफुट पर अतिक्रमण करने पर निगरानीदार के खिलाफ दीवानी अदालत अतिरिक्त सिविल जज करौली में वाद संख्या 139/17 लंबित है जिससे बचने के लिए एवं अतिक्रमण की कार्यवाही से बचने के लिये राधेश्याम ने मियाद बाहर यह कार्यवाही की है। प्रस्तुत प्रकरण हाजा मियाद बाहर होने से एवं दीवानी अदालत में फरीकेन के बीच मामला लंबित होने से मियाद के बिन्दु पर खारिज होने योग्य है। निगरानी सारहीन है। अंत में निगरानी खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील सायल/निगरानीदार ने प्रार्थना पत्र निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि गैरसायल नं. 2 के हक में ग्राम पंचायत अतेवा द्वारा दिनांक 02.05.1981 को खसरा नं. 729 में निःशुल्क आवासीय पट्टा जारी होना बताया है जिसका कोई रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। पट्टे पर पट्टा संख्या, प्रस्ताव संख्या, सचिव के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। उस समय खसरा नं. 729 आबादी भूमि नहीं थी। खसरा नं. 729 दिनांक 08.06.1989 को आबादी भूमि हुई है। सिविल कोर्ट में दावा होने पर पट्टे की जानकारी हुई है। इससे पहले पट्टे की जानकारी नहीं थी। अंत में निगरानी स्वीकार फरमाने का कथन किया है।

वकील गैरसायल नं. 2 का बहस में कथन है कि सायल को 35 साल बाद मियाद बाहर निगरानी पेश करने का अधिकार नहीं है। इसके कोई हक विवादित भूमि में नहीं हैं। मेरी 5X30 वर्गफुट भूमि पर सायल द्वारा कब्जा किया था जिसे हटा दिया था। इस कारण मेरे खिलाफ वाद लाये हैं। वादी प्रतिवादी एक ही वंशज की संतान हैं। अतः 02.05.1981 से ही पट्टे की जानकारी सायल को रही है। 1981 से आज तक सायल द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की है। पूर्व में ग्राम पंचायत अतेवा थी। वर्तमान में ग्राम पंचायत खोहरी हो गई है। ग्राम पंचायत में रिकॉर्ड नहीं मिलने का कारण रिकॉर्ड का misplace होना भी हो सकता है। अंत में निगरानी खारिज फरमाने का कथन किया है।

गैरसायल नं. 1 वक्त बहस उपस्थित नहीं आये।

बहस उभय पक्ष एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। विवादित पट्टा आराजी खसरा नं. 729 ग्राम खोहरी में ग्राम पंचायत अतेवा द्वारा दिनांक 02.05.1981 को निःशुल्क जारी होना बताया गया है जिस पर पट्टा संख्या, प्रस्ताव संख्या, ग्राम सचिव के हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं। खसरा नं. 729 ग्राम खोहरी दिनांक 02.05. 1981 को आबादी भूमि नहीं रही है। इसलिये ग्राम पंचायत को उक्त भूमि पर पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं था। ग्राम पंचायत अतेवा में इस पट्टे के बाबत् कोई रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं है। इसलिये रिकॉर्ड की जांच करने हेतु प्रकरण को विकास अधिकारी, पंचायत समिति करौली को रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं।

अतः सायल द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक स्वीकार की जाती है। प्रकरण विकास अधिकारी, पंचायत समिति करौली को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे ग्राम पंचायत अतेवा का रिकॉर्ड तलब कर प्रकरण में जांच कर गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति विकास अधिकारी, पंचायत समिति करौली को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2019.12.06 16:59:22 IST
Reason: SelfAttested
Location: